भारत सरकार
शिक्षा मंत्रालय
उच्चतर शिक्षा विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.-1482
उत्तर देने की तारीख-09.02.2026

जातिगत भेदभाव के खिलाफ यूजीसी के नए नियम

†1482. **श्री टी. एम. सेल्वागणपति:**

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध नए नियम अधिसूचित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त नए नियमों में अन्य पिछड़े वर्गों को जाति आधारित भेदभाव के दायरे से बाहर रखा गया है और नियमों के पहले के मसौदे में भेदभाव को परिभाषित करने के तरीके में स्पष्टता का अभाव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या नए नियमों में ऐसे दंड को विनिर्दिष्ट किया गया है जिसका अनुपालन न करने के कारण डिग्री प्रदान करने या पाठ्यक्रम (प्रोग्राम) से वंचित किया जा सकता है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (च): दिनांक 13.01.2026 को अधिसूचित यूजीसी (उच्च शिक्षा संस्थानों में समता के संवर्धन हेतु) विनियम, 2026, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2026 के आदेश द्वारा स्थगन में रखा गया है।

अतः मामला विचाराधीन है।

*****